न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 15 / 2015

राज.सरकार जरिये वृताधिकारी, वृत शहर, भरतपुर

......प्रार्थी

बनाम

1— गुलडोरी पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति धोबी उम्र 28 साल निवासी सॉध थाना अछनेरा जिला आगरा
2— राजेन्द्र पुत्र बुद्वीराम जाति ठाकुर उम्र 32 साल निवासी सॉधन थाना अछनेरा जिला आगरा

.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 एवं मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजनल आदेश 2005

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :—
श्री रमनलाल मित्तल अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 27—02—2018**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 7.11.2015 को मुखवर की सूचना से विदित्त होकर पीपला,हथैनी, चौराहा, पर नाकेबंदी के दौरान हथेनी की तरफ से आती हुई सफेद वाहन बोलोरो पिकअप नम्बर यू.पी. 82 जे0 9775 को रोका गया। बौलेरो पिकअप गाडी में लदे विभिन्न रंग के 9 ड्रमों के ढक्कनों को खोलकर ड्रमों में भरे तरल द्रव को देखा व सुंघा देखने पर वाहनों के इंधन के रुप में काम में आने वाला डीजल तरल पेट्रोलियम पदार्थ 9 ड्रमों (प्रत्येक ड्रम में 200—200लीटर) में कुल 1800 लीटर डीजल पाया गया। वास्ते जॉच तीन बोतल नमूना सैम्पल डीजल लिया जाकर सील बन्द किया गया। वाहन चालक व उसके साथी से नाम पता पूछा गया तो चालक ने अपना नाम गुलडोरी पुत्र राजेन्द्र सिह उम्र 28 साल जाति धोवी व उसके साथी ने अपना नाम राजेन्द्र पुत्र बुद्वीराम जाति ठाकुर उम्र 32 साल निवासीयान सॉधन थाना अछनेरा बताया । डीजल लाने ले जाने बाबत लाईसेन्स / परमिट मांगा गया तो उक्त दोनों शक्सों ने कोई लाईसेन्स / परमिट नहीं होना बताया। अप्रार्थी. का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए सहपठित राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद(अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 एवं मोटर स्प्रीट और उच्च

.....2

वेग डीजल आदेश 2005 का स्पष्ट उल्लघंन है, जप्त किये डीजल एवं वाहन बौलेरो यू.पी. 82 जे 9775 के निस्तारण की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी. को नोटिस धारा 6बी ईसी एक्ट जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से जबाब नोटिस पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी. ने अपने कथनों में जाहिर किया कि सीज शुदा डीजल निरीक्षण के समय बोलेरो में ट्रांसपोर्ट हो रहा था जो स्टोरज की परिभाषा में नहीं आता है, सीजर की कार्यवाही गलत की गई है। अप्रार्थी डीजल को कृषी घरेलू कार्य के लिये ले जा रहे थे, उनका यह भी कहना है कि चार हजार लीटर डीजल तक बिना स्टोरेज लाइसेंस के रख सकता है। सीज शुदा डीजल की मात्रा 1800 लीटर ही है। अप्रार्थी पर डीजल को विक्रय व कालाबाजारी करने का कोई आरोप नहीं है, डीजल कृषि कार्य के लिये ले जाया जा रहा था। सीजर की कार्यवाही अवेध की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 6 ए की कार्यवाही समाप्त की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थी वृताधिकारी वृत शहर भरतपुर द्वारा 7.11.2015 को अप्रार्थीगण को वाहन बोलोरो पिकअप नम्बर यू.पी. 82 जे0 9775 में 9 ड्रमों में कुल 1800 लीटर डीजल परिवहन करते हुये पकड़ा गया है। इस तथ्य को अप्रार्थी. स्वंय अपने जबाब में स्वीकार करते हैं। एफएसएल रिपोर्ट दिनांक 28.9.16 में जप्त तेल डीजल होना पाया गया है। योग्य अभिभाषक का यह कथन कि 4000 लीटर डीजल स्टोरेज के लिये लाईसेन्स की आवश्यकता नही है स्वीकार योग्य नहीं है, क्यों कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11–4–2005 में राज्य सरकार, अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी (लाईसेन्स होल्डर) से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा एक समय में अपने कब्जे मे रखे जाने वाले डीजल की अधिकतम मात्रा 1000 लीटर नियत की गई है। इस मात्रा में वाहन के सर्विस टेंक में उपलब्ध डीजल की मात्रा भी सम्मिलित है। अप्रार्थी. को बिना किसी परमिट / लाईसेन्स के 9 ड्रमो में 1800 लीटर डीजल का वाहन से परिवहन करते हुये पकड़ा गया है। अप्रार्थीगण का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए सहपठित राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद(अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 एवं मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल आदेश 2005 का स्पष्ट उल्लघंन है। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। जप्त 1800 लीटर डीजल मय 9 ड्रम एवं वाहन बोलोरो पिकअप नम्बर यू.पी. 82 जे0 9775 को राजसात (Confiscate) किया जाता है। थाना अधिकारी पुलिस थाना, चिकसाना (भरतपुर) को निर्देशित किया जाता है कि वे जिला रसद अधिकारी भरतपुर से सम्पर्क कर जप्त 1800 लीटर डीजल का नियमानुसार विक्रय कर, विक्रय से प्राप्त धन राशि को राज्य कोष में जमा कराई जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर, वृताधिकारी, वृत शहर, भरतपुर को एस.एच.ओ.चिकसाना को आवश्यक कार्यवाही हेतु दी जावे।

निणर्य आज दिनांक 27.03.2018 को सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official